कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, दरभंगा

पत्रांक :–....................../ दरभंगा, दिनांक :–..............................

कम्प्यूटरीकृत आगत पंजीयन संख्या
पंजीयन सं०- 901842
दिनांक- 15/07/2019

कार्यालय आदेश

संवेदक श्याम किशोर यादव, ग्राम–मारूकी, पोस्ट–कुम्मा, थाना–सुरसंड, जिला–सीतामढ़ी द्वारा इस प्रमंडल अन्तर्गत एकरारनामा सं0–13 CMBD of 2017-18 के द्वारा सी0एम0बी0डी0 के अधीन बथिया–नारायणपुर–ककोढ़ा–महिया–देवना–राजाखरवाड़ पथ के कि0मी0 09(अंश), 10, 11, 12(अंश), 13, 14(अंश), 15(अंश) एवं 17(अंश) कुल लंबाई (4.106 कि0मी0) पथ का नाबार्ड योजना के तहत् निर्माण कार्य का एकरारनामा किया गया था। उक्त कार्य का कार्यादेश इस कार्यालय के पत्रांक–116 दिनांक–23.01.2018 द्वारा निर्गत किया गया। जिसके अनुसार कार्य समाप्ति की निर्धारित अवधि 06 माह पश्चात् 22.07.2018 को उन्हें कार्य पूर्ण कर देना था। एकरारनामा के अनुसार निर्धारित समय अवधि के 11 माह से अधिक समय बीत जाने के उपरान्त भी उनके द्वारा एकरारित राशि का मात्र 34.82 प्रतिशत कार्य सम्पादित किया गया है। कार्यारम्भ से ही कार्य के प्रति उदासीन रहे एवं उन्हें कार्य करने में कोई रूचि नहीं थी। उन्हें इस कार्यालय के पत्रांक–641 दिनांक–25.04.2018, 663 दिनांक–04.05.2018 एवं अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, दरभंगा के पत्रांक–781 दिनांक–13.06.2018 द्वारा कार्य में अपेक्षित प्रगति लाते हुए स–समय कार्य को पूर्ण करने का निदेश दिया गया था। किन्तु उनके द्वारा कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं लाये जाने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक–1418 दिनांक–24.09.2018 द्वारा कार्य को शीघ्र पूरा करने का निदेश दिया गया साथ ही कार्य की अत्यंत धीमी प्रगति हेतु उनसे सात दिनों के अंदर स्पष्टीकरण की माँग की गयी कि क्यों नहीं एकरारनामा के शर्त्तों के अधीन DEBAR कर दिया जाय। किन्तु निर्धारित अवधि बीत जाने के पश्चात् भी न तो उनके द्वारा कार्य में अपेक्षित प्रगति लायी गयी और न ही स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। तत्पश्चात् इस कार्यालय के पत्रांक–1553 दिनांक–01.11.2018 द्वारा उन्हें अगले किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित (DEBAR) किया गया। इस अवधि के भीतर उनके अनुरोध पर कतिपय कारणों के आधार पर विभाग द्वारा दिनांक–31.12.2018 तक समय वृद्धि प्रदान की गयी, किन्तु समय वृद्धि विस्तार की अवधि को बीते हुए लगभग छह माह हो जाने के बावजूद भी कार्य को पूर्ण नहीं किया जा सका। उनके द्वारा पथ में किये गये अधूरा कार्य को पूर्ण करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक–1740 दिनांक–22.12.2018, 477 दिनांक–04.04.2019 एवं 547 दिनांक–20.04.2019 द्वारा स्मारित करते हुए निदेश दिया गया कि युद्धस्तर पर कार्य को प्रारंभ करते हुए योजना को पूर्ण कर दें साथ ही एकरारनामा के शर्त्तों के अधीन दण्डात्मक कार्रवाई यथा Rescind एवं Black Listing की चेतावनी भी दी गयी। किन्तु इतने पत्राचार एवं निदेशों के उपरान्त भी उनके द्वारा पथ में बचे कार्य को प्रारम्भ नहीं करने के कारण इस कार्यालय के पत्रांक–658 दिनांक–16.05.2019 द्वारा अन्तिम रूप से स्मारित करते हुए निदेश दिया गया कि तीन दिनों के अंदर कार्य प्रारम्भ करें अन्यथा एकरारनामा के शर्त्तों के अधीन एकरारनामा विखंडित करते हुए उनके नाम को काली सूची में दर्ज करने की अनुशंसा कर दी जाएगी, किन्तु उक्त विषयक पत्र निर्गत के लगभग दो माह समय बीत जाने के उपरान्त भी उनके द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया।

इसके उपरान्त अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, दरभंगा द्वारा दिनांक–28.05.2019 को उनके पत्रांक–789 दिनांक–24.05.2019 द्वारा अंचल कार्यालय में आहूत समीक्षात्मक बैठक में संवेदक द्वारा एक सप्ताह के अंदर कार्य प्रारंभ करने का आश्वासन दिया गया। उसके उपरान्त भी कार्य बंद रहने के कारण दिनांक–19.06.2019 को मुख्य अभियंता उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा लहेरियासराय स्थित निरीक्षण भवन में उनके साथ कार्य की स्थिति की समीक्षोपरान्त उन्हें दिनांक–

30.06.2019 तक पथ के अवशेष कार्य को प्रारंभ करने हेतु निदेश दिया गया तथा इस आशय का शपथ पत्र दो दिनों के अंदर प्रमंडलीय कार्यालय में समर्पित करने का निदेश दिया गया। यह शपथ पत्र उनके द्वारा अधीक्षण अभियंता, पथ अंचल, दरभंगा के माध्यम से समर्पित किया गया, जिसमें संवेदक द्वारा 24.06.2019 से कार्य प्रारम्भ करने की बात कही गयी। किन्तु इसके बावजूद भी उनके द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया गया। विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक–27.06.2019 को लम्बित अवशेष कार्य की समीक्षात्मक बैठक संवेदक के साथ की गयी, जिसमें अधोहस्ताक्षरी भी उपस्थित थे। बैठक में संवेदक को हर हाल में 03.07.2019 तक कार्य प्रारम्भ कर शीघ्र योजना को पूर्ण करने का निदेश दिया गया। इसके उपरान्त लगभग एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी संवेदक द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया। सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, सकरी द्वारा उनके पत्रांक–36 दिनांक–10.07.2019 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि विगत तीन माह से कार्य पूर्णतः बंद है। स्थिति की समीक्षा कर पाया गया कि संवेदक द्वारा लम्बी अवधि से कार्य पूर्ण करने में कोई अभिरूचि नहीं है न ही कार्य पूर्ण होने की कोई संभावना नजर आ रही है।

उपरोक्त वर्णित स्थिति में एकरारनामा के कंडिका C3 (iii), (iv), (v) एवं (vii) के आलोक में उनका एकरारनामा विखंडित करते हुए प्रमंडल में जमा जमानत एवं अग्रधन की राशि जब्त की जाती है तथा एकरारनामा के शर्त्तों के अधीन पथ का अवशेष कार्य किसी अन्य संवेदक से उनके Risk & Cost पर करायी जायेगी। साथ ही बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली 2007 की कंडिका 11 (ii) के अधीन उनके द्वारा एकरारनामा एवं विहित निर्देश के अनुसार कार्य निष्पादन में चूक के कारण उनका नाम (श्याम किशोर यादव, ग्राम–मारूकी, पोस्ट–कुम्मा, थाना–सुरसंड, जिला–सीतामढ़ी) निबंधन संख्या (1180018, दिनांक–27.02.2018 श्रेणी–01, पथ निर्माण विभाग) को काली सूची में दर्ज करने की अनुशंसा की जाती है।

विश्वासभाजन

ह0/–

कार्यपालक अभियंता,
पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, दरभंगा।

ज्ञापांक :–................................/दरभंगा, दिनांक :–..................................

प्रतिलिपि :– संवेदक श्री श्याम किशोर यादव को सूचनार्थ प्रेषित। साथ ही उन्हें निदेश दिया जाता है कि अद्यतन किये गये कार्य की अंतिम मापी दिनांक–18.07.2019 को निर्धारित की जाती है। निर्धारित तिथि को आप स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति सुनिश्चित करें। आपके अथवा आपके प्रतिनिधि के अनुपस्थित रहने की स्थिति में विभाग द्वारा एक पक्षीय अंतिम मापी कर ली जायेगी जो आपको मान्य होगा तथा इस संबंध में आपका कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

ह0/–

कार्यपालक अभियंता,
पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, दरभंगा।

ज्ञापांक :–............................./दरभंगा, दिनांक :–..................................

प्रतिलिपि :– सहायक अभियंता, पथ अवर प्रमंडल, सकरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि दिनांक–18.07.2019 को कार्य स्थल पर उपस्थित होकर अंतिम मापी लेना सुनिश्चित करेंगे तथा अवशेष कार्य का प्राक्कलन शीघ्र समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

ह0/–

कार्यपालक अभियंता,
पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, दरभंगा।

ज्ञापांक :–............................/दरभंगा,   दिनांक :–.................................

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ समर्पित।

ह0/–

कार्यपालक अभियंता,

पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, दरभंगा।

ज्ञापांक :–............................/दरभंगा,   दिनांक :–.................................

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित। साथ ही भवदीय से अनुरोध है कि श्याम किशोर यादव, ग्राम–मारूकी, पोस्ट–कुम्मा, थाना–सुरसंड, जिला–सीतामढ़ी का निबंधन संख्या (1180018, दिनांक–27.02.2018 श्रेणी–01, पथ निर्माण विभाग) को काली सूची में दर्ज करेन हेतु अनुशंसा के साथ अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

ह0/–

कार्यपालक अभियंता,

पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, दरभंगा।

ज्ञापांक :–............................/दरभंगा,   दिनांक :–.................................

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियंता उत्तर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

ह0/–

कार्यपालक अभियंता,

पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, दरभंगा।

ज्ञापांक :–902/दरभंगा,   दिनांक :–11-7-19

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियंता(अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित। अनुरोध है कि इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

11.7.19

कार्यपालक अभियंता,

पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, दरभंगा।